FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

रतन वगैरह बनाम नौरत वगैरह

किस्म मुकदमा – 111 व 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम नंबर 31 /2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17/6/25	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री अशोक कुमार शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत् पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 04/7/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	
4/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। प्रतिवादी संख्या 1-5, 7 से 44 के तामील शुदा तथा प्रतिवादी 6 के अदमतामील प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण [illegible] [illegible] पधारे हो। पत्रावली दिनांक 12.9.2025 को पेश हो। [signature]	
12/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। वकील वादी ने प्रति० 6 व 7 [illegible] हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। [illegible] प्रति० जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 19.12.2025 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई	
19/12/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वकील वादी की बहस सुनी गई। [illegible] तैयार [illegible] शामिल पत्रावली [illegible] प्रतिवादीगण 1-5, 7 व 44 का जवाब पेश किया गया। [illegible] पत्रावली में शामिल हो। पत्रावली [illegible] में रखा हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2025

1.रतन पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

2 .पांचू पुत्र हरकर.ा जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

3 .फुतर देवी पत्नी रामा जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

4. राजी पुत्री रामा जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

5. विश्राम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

बनाम

–प्रार्थीया

1.नोरत पुत्र स्वरूपा जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

2.गोपाल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

3.लाली पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

4.ना.बा. कमलेश पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

5. सुरेश पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई– जिला अजमेर राजस्थान ।

6. सन्तोष देवी पत्नी श्योराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

7.भूली पत्नी सरदार जाति गुर्जर निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

8.भोलू पुत्र नन्दा जाति गुर्जर निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई– जिला अजमेर राजस्थान ।

9. रंगलाल पुत्र सग्राम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

10. सोजी पुत्र सग्राम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई– जिला अजमेर राजस्थान ।

11.सोराज पुत्र सग्राम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

12.हरि पुत्र छोटु जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई– जिला अजमेर राजस्थान ।

13. फुला पत्नी छोटु जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई– जिला अजमेर राजस्थान ।

14. उमराव पुत्र तेजु जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई– जिला अजमेर राजस्थान।

15. काली पुत्र तेजु जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

16.गलकू पत्नी तेजु जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई– जिला अजमेर राजस्थान ।

17– गोलु पुत्र तेजु जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

18. छगना पुत्र सोनी जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई– जिला अजमेर राजस्थान ।

19. भूरा पुत्र तेजु जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई– जिला अजमेर राजस्थान।

20. सुगना पुत्र सोनी जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान ।

21. काली पुत्री नारायण जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

22. गलकु पत्नी नारायसा जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

23. बदरी पुत्र नाराय.ा जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

24.महेन्द्र चौधरी पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

25.लालाराम नीमड पुत्र नाराय.ा जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान ।

26.कमला पुत्री गणेश जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

27. कालु पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई– जिला अजमेर राजस्थान ।

28. किशनलाल पुत्र जयराम जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

29.घमला पुत्री जयराम जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील – अरांई जिला अजमेर राजस्थान

31 रतना पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासीग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

32 राधाकिशन पुत्र गोपाल जाति जाट निवासीग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान ।

33 राधामोहन पुत्र हरिकिशन जाति जाट निवासीग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

34 रामकर.ण पुत्र जयराम जाति जाट निवासीग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

35. रामदिन पुत्र जयराम जाति जाट निवासीग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

36. रामधन पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासीग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

37 रामलाल पुत्र जयराम जाति जाट निवासीग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान ।

38. रामेश्वर पुत्र जयराम जाति जाट निवासीग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

39 रामस्वरूप पुत्र गोपाल जाति जाट निवासीग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

40. लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासीग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

41. सुरेश घासल पुत्र हरिकिशन जाति जाट निवासीग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

42. सांवरमल घासल पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासीग्राम कटसुरा तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान।

43. हगामा पुत्र गोपाल जाति जाट निवासीग्राम कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

44. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील किशन•ढ़ जिला अजमेर राज०

अप्रार्थीगण–

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक 19/12/25

वकील वादी श्री अशोक शर्मा एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री अशोक शर्मा एडवोकेट द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थी राजस्वग्राम कटसुरा के स्थाई निवासी है। प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी ग्राम कटसुरा पटवार क्षेत्र कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 396 रकबा 1.6665 हैक्टेयर किस्म नहरी । है। जिसकी चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार से है एवं चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अभिलेख में इन्द्राज खातेदारो को प्रार्थना पत्रमें पक्षकार संयोजित किया जा रहा है।

पूर्व में : खसरा नम्बर 399 अप्रार्थी संख्या 27 लगायत 43 की खातेदारी भूमि स्थित है

पश्चिम में : खसरा नम्बर 372,371,317 अप्रार्थी संख्या 13 से लगायत 20 में के नाम इन्द्राज है

उत्तर में : खसरा नम्बर 391,392,395,397,398की खातेदारी जो अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 12 व 20 से लगायत 26 के नाम इन्द्राज है

दक्षिण में : खसरा नम्बर 312,313,313 खातेदारी जो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के नाम इन्द्राज है

WD

उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि है जो संलग्न जो राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। जो धारा 111 व 128 के तहत विहित रिति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 17.06.2022 को प्रार्थी संख्या 1 से लगायत 5 के समक्ष सीमा ज्ञान का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी संख्या 5 द्वारा पटवारी हल्का महोदय को आदेशित किया गया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17.06.2022 को मौके पर समस्त पडौसी खातेदारान की उपस्थिती में आराजी का सीमा ज्ञान किया गया जिसका मौका पर्चा तैयार किया गया जिसमें सभी पडौसी खातेदारान सीमा ज्ञान से सन्तुष्ट है। जो सन्तुष्टी के हस्ताक्षर किये गये प्रार्थना पत्र के साथ मौका पर्चा संलग्न किया जा रहा है। प्रार्थी कब्जे काश्त की आराजीग्राम कटसुरा पटवार क्षेत्र कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 396 रकबा 1.6665 हैक्टेयर किस्म नहरी । है। पर कृषि कार्य करत आ रहे है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 43 एवं परिवारजन के द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है ,एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 43 ,एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीया की ,कल खातेदारी की कृषि भूमि की वर्षाकाल के समय बुवाई करते समय सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। प्रार्थी अपने आराजी में माननीय न्यायालय के आदेश के तहत चौतरफ /चतुर्थ सीमा में पत्थरगढी करवा कर अपनी आराजी को सुरक्षित करना चाह रही है जिससे मौके पर किसी प्रकार का सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न न हो। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 43 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीया की आराजी में पत्थर•ढ़ी करवाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र का कारण दिनांक 20.09.2022 को जब उत्पन्न हुआ कि प्रार्थीया की आराजी में सींव, मेड़ को ट्रेक्टर से अप्रार्थीगण एवं उनके परिवारजन के द्वारा उखाड़ने एवं अपनी भूमि में मिलाने पर उतारू हो गये तब प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 43 के अवैध उद्देश्य को विफल कर दिया तब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 43 एवं उनके परिवारजन के द्वारा कहा जल्दी से पत्थरगढ़ी करवा लेना अन्यथा मेड़ को ट्रेक्टर से काट कर हमारे खेत में मिला देगें एवं तुम्हारी सींव, मेड़ को हटा देगें तब प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.11. 2022 को पटवारी हल्का से दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अधिवक्ता से दिनांक 25.01.2023 को सम्पर्क कर माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अविलम्ब रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 44 आवश्यक पक्षकार है माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने से पक्षकार संयोजित किया गया है एवं अप्राथीगण संख्या 1 लगायत 43 प्रार्थीगण के पडोसी खातेदारी होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार प्राप्त है एवं प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है एवं प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क चस्पा है प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीग्राम कब्जे काश्त की आराजीग्राम कटसुरा पटवार क्षेत्र कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर में **अवस्थित है** जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 396 रकबा 1.6665 हैक्टेयर किस्म नहरी । है। की राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके अतः पत्थरगढी का निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 17.6.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । दिनांक 19.11.2025 को प्रतिवादीगण 1 से 5, 7 से 44 को जवाब हेतु बार बार अवसर देने पर भी जवाब नही देने पर जवाब बन्द किया गया । तथा वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्रतिवादी 6 का नाम तर्क किया गया । दिनांक 19.11.2025 को बहस सुनी गई । तहसीलदार अराई की जाच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। :पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं **ग्राम कटसुरा पटवार क्षेत्र कटसुरा तहसील अराई जिला अजमेर के वर्तमान खसरा नम्बर 396 रकबा 1.6665 हैक्टेयर किस्म नहरी A** का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस

1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)